न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कामां
व इजलाश श्री दिनेश शर्मा आर0ए0एस उपखण्ड अधिका

मुकदमा नं0 16/20
1–लालचन्द
2–यशवन्त पिसरान टीकम
3–टीकम पुत्र मंगला जाति ठाकुर निवासी सुन्हेरा तहसील कामां
बादनी

बनाम

1–चुन्ना पुत्र मंगला
2–रूपचन्द पुत्र खूबीराम
3–अन्तराम पुत्र खूबीराम जाति ठाकुर निवासी सुन्हेरा
4–देवेन्द्र पुत्र शेरो भगत
5–नन्दू पुत्र शेरो भगत
6–छोटू पुत्र शेरोभगत
7–अत्री पुत्र शेरोभगत
8–जमना पुत्री शेरोभगत जाति ठाकुर निवासी अगरयाला तहसील छाता जिला मथुरा
9–तहसीलदार कामां

असलप्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादी..
1–अमित शर्मा 2–त्रिलोकचन्द एडवोकेट
प्रतिवादी
बालमुकन्द गुप्ता एडवोकेट

दावा डिकलेरेशन व हुक्म इम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 53,,188 आर0टी0एक्ट

निर्णय

दिनांकः 19.05.2022

वादीगण के अधिवक्ता द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर0टी0एक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया कि वादीगण आराजी मुतदाविया खसरा नम्बर 396/1.23, 422/0.15, 820/0.24, 997/0.26 हैक्टयर किता 4 रकवा 0.88 हैक्टर वाके सुन्हेरा तहसील कामां पर खातेदार काश्तकार है । वादी सं0 3 के भाई की मृत्यु हो जाने पर जिसके वारिसान रूपचन्द, अन्तराम व राधा के नाम राजस्व रिकार्ड में उसकी 1/4 हिस्से की आराज पर मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकार्ड में रूपचन्द व अन्तराम का 7/32 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में विरासत का दाखिल

उपखण्ड अधिकारी
कामां

खारिज का इन्द्राज हो चुका है । जिसमे मृतक बुधीराम की पुत्री राधा का भी स्वर्गवास हो चुका है जिसके प्रतिवादीगण संख्या 4 लगा 8 क्रमश: देवेन्द्र नन्दू, छोटू, अत्री जमना वारिसान है जिनका अभी राजस्व रिकार्ड मे राधा के 1/32 हिस्से की आराजी पर राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज नहीं हुआ है, परन्तु नगरज मुकदमा मृतक राधा के वारिसान देवेन्द्र, नन्दू, छोटू, अत्री जमना को प्रतिवादीगण संख्या 4 लगायत 8 के रूप मे पक्षकार मुकदमा बनाया गया है । देवीराम ने अपना हिस्सा वादी संख्या 1 व 2 को बेचान कर दिया है । इसलिए देवीराम के 1/4 की आराजी पर वादी संख्या 1 व 2 वाहिस्सा बराबर रिकार्डेड खातेदार के रूप में काबिज काश्त है । इसी प्रकार वादी संख्या 3 भी उक्त आराजी मे अपनी 1/4 हिस्से की आराजी पर रिकार्डेड खातेदार काश्तकार के रूप में काबिज काश्त है । वादीगण व प्रतिवादीगण की सम्मिलित मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकार्ड अपने अपने हिस्से की आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते है । अब उक्त आराजी भूमि में खातेदारान की संख्या बढ गयी है । सभी का शामलात रूप मे काश्त करना सम्भव नहीं है । क्योंकि आराजी मुतदाविया का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य शामलात काश्त में आये दिन विवाद व कहन सुनन होती रहती है । आराजी मुतदाविया की जुताई बुबाई के वक्त पक्षकारान के मध्य अक्सर झगडा फिसाद होता है जिससे अब वादीगण व प्रतिवादीगण के साथ मुतदाविया का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकार्ड विभाजन कराया जाना लाजिम हो गया है । वादीगण ने दिनांक 10.07.2020 को बंटवारा को कहा तो प्रतिवादीगण ने आराजी मुतदाविया का राजस्व रिकार्ड वैधानिक बंटवारा करने से साफ इन्कार कर दिया और धमकी दी िकवह वादीगण को काश्त नहीं करने देगें और ना ही हम आराजी मुतदाविया का वैधानिक बटवारा करेगें और वादीगण को जबरन लटठ व ताकत के बल पर बेदखल करके रहेगें। विदि वजह वादीगण दावीदार है और वे आराजी मुतदाविया के अच्छी में से अच्छी व बुरी में बुरी के कुर्रेजात कायम कराकर राजस्व रिकार्ड में मुताबिक हिस्सा पृथक पृथक खाता व पृथक पृथक लगान कायम करा पाने के अधिकारी है । विदि वजह वाद पत्र पेश है ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । प्रतिवादीगण उपस्थित आये । पक्षकार अधिवक्ता ने आराजी मुतदाविया के अच्छी में से अच्छी व बुरी में बुरी के कुर्रेजात कायम कराकर राजस्व रिकार्ड में मुताबिक हिस्सा पृथक पृथक खाता व पृथक पृथक लगान कायम पर अपनी सहमति जाहिर की । वादीगण द्वारा दावे के समर्थन में प्रमाणित प्रति जमाबन्दी सं0 2068–71 पेश की है। दोनो पक्षकारा की सहमति के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 396/0.23, 422/0.15, 820/0.24, 997/0.26 किता 4 रकवा 0.88 वाके ग्राम सुन्हेरा की प्राथमिक डिकी राजस्व रिकार्ड के आधार पर हिस्से अनुसार कुर्रे तैयार किया जाने हेतु तहसीलदार को आदेशित किया गया ।

तहसीलदार कामां के पत्रांक/राजस्व/22/2124 दिनांक 08.4.2022 के द्वारा कुर्रे रिपोर्ट प्राप्त हुई है । जो निम्न प्रकार से है :–

1–टीकम पुत्र मंगला 1/2 हिस्सा लालचन्द, यशवन्तसिंह पिसरान टीकम हिस्सा 1/2 कौम ठाकुर सा0सुन्हेरा खातेदार राहिन पी0एन0बी0 शाखा कामां ख0नं0 543/1/0.075, 515/3/0.1150, 1008/1/0.12, 1257/1/0.13, किता 4 रकवा 0.44

उपखण्ड अधिकारी
कामां (भरतपुर) राज0

2–चुन्ना पुत्र मंगला कौम ठाकुर साकिन सुन्हेरा खातेदार राहिन पी0एन0बी0 शाखा कामां खसरा नम्बर 543/2/0.375, 515/1/0.0575, 1008/3/0.06, 1257/2/0.065, किता 4 रकवा 0.22,

3–रूपचन्द अन्तराम पिसरान खूबीराम हिस्सा 7/8 देवेन्द्र नन्दू छोटू अत्री पिसरान शेरसिंह जमना पुत्री शेरसिंह हिस्सा 1/8 हिस्सा जाति ठाकुर साकिन सुन्हेरा खातेदार खसरा नम्बर 543/3/0.375, 515/2/0.0575, 1008/2/0.06, 1257/3/0.065, किता 4 रकवा 0.22 वाके ग्राम सुन्हेरा तहसील कामां

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । तहसीलदार कामां के पत्रांक/ राजस्व /22/2124 दिनांक 08.4.2022 से प्राप्त कुर्रे रिपोर्ट का अवलोकन किया गया । पक्षकार अधिवक्ता उपस्थित आये तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया । जिस पर वादीगण व प्रतिवादीगण वकील सहमत हुए । अतः तहसीलदार कामां से प्राप्त कुर्रे रिपोर्ट के आधार पर बंटबारा किया जाना उचित प्रतीत होता है ।

आदेश

अतः तहसीलदार कामां के पत्रांक/ राजस्व /22/2124 दिनांक 08.4.2022 द्वारा कुर्रे निम्न प्रकार से किये जाते है :–

1–टीकम पुत्र मंगला 1/2 हिस्सा लालचन्द, यशवन्तसिंह पिसरान टीकम हिस्सा 1/2 कौम ठाकुर सा0सुन्हेरा खातेदार राहिन पी0एन0बी0 शाखा कामां ख0नं0 543/1/0.075, 515/3/0.1150, 1008/1/0.12, 1257/1/0.13, किता 4 रकवा 0.44

2–चुन्ना पुत्र मंगला कौम ठाकुर साकिन सुन्हेरा खातेदार राहिन पी0एन0बी0 शाखा कामां खसरा नम्बर 543/2/0.375, 515/1/0.0575, 1008/3/0.06, 1257/2/0.065, किता 4 रकवा 0.22,

3–रूपचन्द अन्तराम पिसरान खूबीराम हिस्सा 7/8 देवेन्द्र नन्दू छोटू अत्री पिसरान शेरसिंह जमना पुत्री शेरसिंह हिस्सा 1/8 हिस्सा जाति ठाकुर साकिन सुन्हेरा खातेदार खसरा नम्बर 543/3/0.375, 515/2/0.0575, 1008/2/0.06, 1257/3/0.065, किता 4 रकवा 0.22 वाके ग्राम सुन्हेरा तहसील कामां

तहसीलदार कामां कुर्रे रिपोर्ट के अनुसार बंटवारा करने के लिए डिकी तैयार करने हेतु लिखा जावे ।प्रकरण नम्बर से कम किया जाकर बाद तकमील तामील दाखिल दफतर हो ।

निर्णय आज दिनांक 19.05.2022 को खुले न्यायालय में पढकर सुनाया गया ।

(दिनेश शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
कामां (भरतपुर)

डिकी व मुकदमा इब्तदाई

(ओ0रू 6–7 जाब्ता दीवानी)

(civil Procedure code Appendix)

अज अदालत उपखण्ड कार्यालय ,कामां

इजलास श्रीमान दिनेश शर्मा आर0ए0एस उपखण्ड अधिकारी कामां जिला भरतपुर

लालचन्द बनाम चुन्ना

यह मुकदमा आज वास्ते इनाफिलाल कतई रूबरू पक्षकार बकील व हाजिरी निजानिव जगदीश बनाम मुकेश मिनजानिव मुद्दालय पेश होकर हुकम दिया जाता है कि व डिगरी दी जाती है कि जो निम्न प्रकार से है :–

1–टीकम पुत्र मंगला 1/2 हिस्सा लालचन्द, यशवन्तसिंह पिसरान टीकम हिस्सा 1/2 कौम ठाकुर सा0सुन्हेरा खातेदार राहिन पी0एन0बी0 शाखा कामां ख0नं0 543/1/0.075, 515/3/0.1150, 1008/1/0.12, 1257/1/0.13, किता 4 रकवा 0.44

2–चुन्ना पुत्र मंगला कौम ठाकुर साकिन सुन्हेरा खातेदार राहिन पी0एन0बी0 शाखा कामां खसरा नम्बर 543/2/0.375, 515/1/0.0575, 1008/3/0.06, 1257/2/0.065, किता 4 रकवा 0.22,

3–रूपचन्द अन्तराम पिसरान खूबीराम हिस्सा 7/8 देवेन्द्र नन्दू छोटू अत्री पिसरान शेरसिंह जमना पुत्री शेरसिंह हिस्सा 1/8 हिस्सा जाति ठाकुर साकिन सुन्हेरा खातेदार खसरा नम्बर 543/3/0.375, 515/2/0.0575, 1008/2/0.06, 1257/3/0.065, किता 4 रकवा 0.22 वाके ग्राम सुन्हेरा तहसील कामां

आज दिनांक 19.05.2022 को मुबालिग...खर्चा इस मुकदमेंमें मय सूद व सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी.तक का अदा करे ।

बसप्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 04.05.2022को जारी की गई है ।

मुद्दई	रूप्या	पैसे	मुद्दई	रूप्या	पैसे
स्टाम्प अरजीदावा	2	00	स्टाम्प वकालतनामा	2	00
स्टाम्प वकालतनामा	2	00	स्टाम्प		
स्टाम्प बजह सबूत म्हनताना वकील	00	00	स्टाम्प बजह सबूत म्हनताना वकील	00	00
खर्चा गवाहान	00	00	खर्चा गवाहान	00	00
फीस कमिश्नर	00	00	फीस कमिश्नर	00	00
बावत इजराय हुकमनामा	00	00	बावत इजराय हुकमनामा	00	00
मुतफर्रिक	00	00	मुतफर्रिक	00	00

(दिनेश शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
कामां (भरतपुर)